

कथा जानकार महावीर स्थानों का दौरा करते हुए श्री
गण। जानकार महावीर का 31 चौथी दीपा
दिवस जैन समाज ने मनाया। जिसका
शुभारंभ भगवान महावीर स्थानों के चित्र
लखनऊ खतोली के लोगों ने आचार्य

का भ्राता आचार्य श्री
बिहाल की छात्रों ने स्वागत गीत व
नृत्य प्रदर्शन किये तो समाजश्रेष्ठ, भैरव,
भगवानश्री, आचार्यश्री तथा महापुरुषों के

शोभारंभ हुआ, जसम
बग्गी पर सवार श्रेष्ठजन तथा धर्मधर्वजा,

महिलाएं पीत वस्त्रों में रही। हैंडलस के
साथ भगवान महावीर स्थामी जयन्ती
सभी मंदिरों के प्रवेशक, माहला मण्डल
व युवा वर्ग शमिल रहा।

हन, प्रसंस्करण एवं नियमावली में है। इस उपविधि (प्रारूप) के 09.2017 द्वारा अनुमोदित किया जा ह के अद्वारा आपत्ति एवं सुधार अनुसूचणा के लिये उपलब्ध है। इस उपविधि एवं प्रबन्धन तथा स्वच से लागू/प्रभावी होने की तिथि अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच से लागू/प्रभावी होगी।

अन्तर्गत संशोधित होने की तिथि नोटिस देकर प्रकाशित किये जायेंगे।

य में विस्तारण के फलस्वरूप निक स्थलों, सभी ठोस अपशिष्ट व्यक्तियों पर जो वाराणसी नगर

हो उपविधि एवं परिशिष्ट में प्र

प्रतिकूल न हो इस नियमावली मर्य नार नियम ज्ञानी द्वारा प्रतिवर्कर्ता से है, जो उसकी ओर विवहन, भण्डारण, पृथक्करीण संवहन करें।

इबुल वेस्ट) से तात्पर्य जीवाणु जाने गोप्य कूड़ा—कचरा या नवरो से जनित अपशिष्ट जैसे शिष्ट अथवा अन्य कोई पदार्थ

डिक्कल वेस्ट) से तात्पर्य ऐसे पचार के दौरान या अनुसंधान हो। इसके अन्तर्गत अनुसूची त

पो डिग्रेडिबुल अपशिष्ट और है जो जिसके अन्तर्गत ज्वलनशील अपशिष्ट और

ईस) अपशिष्ट से तात्पर्य दों जैसे फेंके हुए पेंट के इस उत्पाद के समाप्त औषधियाँ, टूटे हुए पटिट्याँ आदि से हैं। ऐसी प्रक्रिया से है जीवनशील डीकम्पोजीशन/ब्रेकिंग डार्न नियमावली अपशिष्ट प्रद अन्यथा अपेक्षित न हो।

: दो और ५ हत्थे

इनमिया बदमाश चढ़ा पुलिस
के हत्थे

तालबेहट कोतवाली पुलिस ने
गश्त के दौरान मेहरबान माता
पादि के पास से पन्द्रह हजार रुपये
के इनमी दुंखायत बदमाश संतोष
यादव पुत्र प्रकाश यादव को
पकड़ने में सफलता हासिल की है।
इसके पास से पुलिस ने एक
तमचा 315 चोर व 2 जिन्दा
कारतूस और एक खोजा कारतूस
के साथ ही चोरों कर लायी गयी
होरों होण्डा स्पेलोडर मोटर
साइकिल बरामद की है। एसपी ने
बताया कि संतोष यादव के
खिलाफ कई मामलों में मालिल
होने के कारण इसके खिलाफ
कुकीं की कार्यवाही भी को जा
री रखती है। इसके अन्तर्गत एक गांव में
एक नाबालिंग के साथ जबरन
ने बाले युवक को पुलिस ने घर
लिस के अनुसार ग्राम चुरावनी
द रैकवार पुत्र काशीराम को
न गांव से ही हिरासत में ले

की जयती क्य रथयात्रा

के भव्य ध्वनि जैन मंदिरों में
से ही श्रद्धालुओं की भीड़-
देखी गयी सभी अपने अपने
से सहयोगी बन रथयात्रा की
योग्य में लगे रहे यह भव्य
यात्रा जुलूस कस्बे के
नाथ युग्म भद्र जो से
किया गया जुलूस में युग्म
की प्राचीन काष्ठ से निर्मित
भगवान महावीर स्थामी जी
मा को विराजमान किया
सको चमचमाती जरी से
न किये गए ट्रेक्टर से
या शोभायात्रा में सर्वप्रथम
गे ढोल नगाड़ों को थाप
मुत्री बालकाएँ मनोहारी
से सजकर डाँड़िया नृत्य
चल रही थी ततप्रथात
भगवान महावीर स्थामी
के साथ हाथ ढेले पर
व य मनोहारी मलना
हा जिसे छोटे छोटे
इंग चल रहे थे।

- नोट :-**
- उपरोक्त प्रशासन/समझौता शुल्क/चार्जेंज के पाँच वर्षों के उपरान्त पुनः निर्धारण का अधिकार नगर आयुक्त में निहित होगा। इसके पुनः निर्धारण के उपरान्त पूर्व दरें स्वतः निर्धारिती ही जायेगी।
 - अधिकृत अधिकारी/एजेंसी द्वारा प्रतिवर्धित पॉलीथिन, थर्माकोल अथवा अन्य प्रतिवर्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी द्वारा प्रतिवर्धित पॉलीथिन थर्माकोल अथवा अन्य प्रतिवर्धित सामग्री का उत्पादन एवं वितरण उसी द्वारा ऐसी यूनिट को बन्द करने की संस्तुति नगर आयुक्त द्वारा उपरान्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आयुक्त को वी जायेगी एवं इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगर आयुक्त द्वारा उपरान्त प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आयुक्त को वन्द करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु कहा जायेगा।
 - यदि अधिकृत अधिकारी/एजेंसी या कोई भी सामान्य नागरिक किसी कर्मचारी को खुले में कूड़ा जलाते हुए पाता है तो वे उसकी रिपोर्ट नगर निगम के अधिकारी को उसके विरुद्ध अनुशासनित कार्यवाही हेतु प्रेषित करें।

अनुसूची-2

जैवनाशित और पुनर्चक्रीय अपशिष्ट की सूची

जैवनाशित अपशिष्ट

- जैवनाशित अपशिष्ट से तात्पर्य जीवाणु या अन्य जीवित प्राणियों द्वारा अपघटित या नाशित किये जाने योग्य कूड़ा कचरा या अपशिष्ट सामग्री से है।
- रसोई घर का अपशिष्ट जिसमें चाय की पत्ती, अण्डे के छिलके, फल और सब्जियों के छिलके शामिल हैं।
- मौस और हड्डियाँ
- उद्यान व पर्सियों का कूड़ा करकट जिसमें फूल भी है।
- पशुओं का कूड़ा करकट।
- गोबर।
- सफाई के बाद घर की गन्दगी।
- नारियल के छिलके।
- राख।
- अन्य इसी कोटि के अपशिष्ट।

जैवनाशित अपशिष्ट

- पुनर्चक्रीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे शुष्क अपशिष्ट से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन से है जिसे नयी वस्तुओं के उत्पादन के लिये कच्ची सामग्री में एक प्रक्रिया के माध्यम से परिवर्तित किया जा सके और जो मूल उत्पाद के समान हो सकता है और नहीं भी हो सकता है।
- समाचार पत्र।
- कागज, पुस्तकें, पत्रिकायें।
- शीशा।
- धातु के पदार्थ और तार।
- प्लास्टिक।
- फटे कपड़े।
- चमड़ा।
- रेक्सीज।
- रबर।
- लकड़ी/फर्नीचर।
- पैकिंग के समान एवं अन्य इसी प्रकार के।

अनुसूची-3

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट की सूची

जैव चिकित्सीय अपशिष्ट

- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जो मनुष्यों या पशुओं के निदान या बेहोशी के दौरान या उनसे सम्बन्धी शोध कार्यों के दौरान जीव विज्ञान के उत्पादन या परीक्षण के दौरान उत्पन्न होता है।
- धारदार अपशिष्ट :-**
सुईयाँ, सिरीज, छुरिया, ब्लेड, शीशा इत्यादि जिनसे छेद या कटाव हो सकता है इसमें प्रयुक्त और उप्रयुक्त धारदार दोनों हैं।
 - बेकार दवाईयों और साइटोटाक्सिक औषधियों :-**
अवसान तिथि के बाद की दूषित और बेकार दवाईयों के अपशिष्ट
 - ठोस अपशिष्ट :-**
रक्त और शरीर द्रव से दूषित सामग्री जिनमें रूई, पट्टी, प्लास्टर पट्टी कपड़े की पट्टी बिस्तर, चादर और रक्त

(प्रताप सिंह भदौरिया)
नगर आयुक्त/प्रशासक
नगर निगम, ज्ञानी

